सत्यमेव जयते

संख्या : ——— /जी0एस0/शिक्षा/A11-173/2021

प्रेषक,

बृजेश कुमार संत,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल–टिहरी (गढ़वाल)।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालयःउत्तराखण्ड **देहरादून दिनांक 22 मार्च, 2021**

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्याः 5226/Aff/2020–21 दिनांक 04.02.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा रूड़की महाविद्यालय, रूड़की, ग्राम लाठरदेवा शेख, मंगलौर–इकबालपुर रोड़, रूड़की, जनपद हरिद्वार को बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, संस्कृत, राजनीतिशास्त्र) एवं बी0कॉम0 पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2019–20 की नवीन अस्थायी सम्बद्धता का प्रस्ताव संस्तुति के साथ इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2– शैक्षिक सत्र 2019–20 हेतु नवीन अस्थाई सम्बद्धता के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विष्वविद्यालय अधिनियम–2011 (यथा संशोधित) के अध्याय–06 की धारा–33(1) के अन्तर्गत महाविद्यालय को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि की नवीन अस्थाई सम्बद्धता के सम्बन्ध में मा0 कुलाधिपति द्वारा कार्योत्तर/सैद्धान्तिक स्वीकृति सत्र दर सत्र के आधार पर निम्न उपबन्ध के साथ प्रदान की गई है :–

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
1.	रूड़की महाविद्यालय, रूड़की, ग्राम लाठरदेवा शेख, मंगलौर–इकबालपुर रोड़, रूड़की, जनपद हरिद्वार	1. बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, संस्कृत, राजनीतिशास्त्र) 2. बी0कॉम0	1. 60 सीट प्रति विषय 2. 60 सीट	सत्र 2019–20

1– निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, यू0जी0सी0 विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्यवाही करे व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदया के अवगतार्थ उपलब्ध कराये।

2– अग्रेत्तर सत्रों में सम्बद्धता हेतु यू0जी0सी0 विनियम में निहित प्राविधानों तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप सम्बन्धित महाविद्यालय के समस्त मानक पूर्ण होने के उपरान्त ही प्रस्ताव मा0 कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जांय।

3– यू0जी0सी0 विनियम के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति के 03 माह के भीतर विश्वविद्यालय से फैकल्टी का अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है।

तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(बृजेश कुमार संत)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 3490 (1)/जी0एस0/शिक्षा/A11-173/2020 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्राचार्य, रूड़की महाविद्यालय, रूड़की।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार सोनकर)
कुलाधिपति के अपर सचिव।